प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

| | |
|---|---|
| 29.10.2021 | वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली राजस्व शिविर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 - कैम्प सलेठी पर पेश हुई वकील सायल को सुना गया व गैर सायल मुद्दालेयान को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया निर्णय अनुसार पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

| | | |
|---|---|---|
| मु0न0 | आर.सी.एम.एस | तारीख रजू |
| 14 / 2021 | 2021 / 66 | 18.06.2021 |

1. मुरारी आयु 64 साल
2. शिवचरण आयु 40 साल
3. हंसराज आयु 35 साल
4. घनश्याम आयु 28 साल
5. परवो वेवा रामचरण आयु 85 साल

| पुत्रान रामचरण।

जातियान मीना निवासीयान ससेडी तहसील व जिला करौली राज0---- प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट**

## निर्णय

दिनांक 29.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 691 लगायत 697, 702 लगायत 706, 722, 723, 724,727 कुल किता 16 कुल रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा ग्राम ससेडी तहसील करौली में स्थित है, जो प्रार्थीगण के पिता रामचरण के समय की पुश्तैनी खातेदारी की कब्जे काश्त की है प्रार्थीयान के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरासत नामान्तरण प्रार्थीगण के हक मे हो चुका है जिसकी नकल जमाबन्दी 2072–75 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है एवं नकल जमाबन्दी सम्बत् 2056–59 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है जमाबन्दी सम्बत् 2031 से 34 तैयार करते समय राजस्व कर्मियों ने उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण को बिना सुने नोटिस दिये देवताओं से जोत का नोट अंकित कर दिया है जो विधि विरूद्ध है रिकॉर्ड के विपरित है, यह भूमि कभी–भी देवताओं से संबंधित जोत भूमि सम्बत् 2031–34 तक नहीं रही है, जमाबन्दी संलग्न है। जागीर सन 1952 में जागीर एक्ट के तहत् समाप्त हो चुकी है, प्रार्थीगण उक्त अवैध इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी है, प्रार्थीगण को उक्त अवैध इन्द्राज की जानकारी जमाबन्दी सम्बत् 2072–75 लेने पर हुई तब प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस देकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात का ग्राम ससेडी तहसील करौली में होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी की नहीं है बल्कि उक्त भूमि देवताओं से संबंधित जोत से है [illegible] जमाबन्दी में है देवताओं से संबंधित जो खातेदारी दर्ज हुई है [illegible] लाईलमी है सम्बत् 2031–34 में विवादित भूमि [illegible] रही है जिसमे मंदिर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner

खुदकाश्त होना प्रमाणित नही होता है अतः शुद्वि किया जाना प्रस्तावित है। त्रृटी सुधार लैण्ड ऑफिसर द्वारा किये जाने का अधिकार है। प्रार्थीगण उक्त राजस्व इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी है।

वहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी पैरोकार सरकार सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थीगण का वहस में कथन है कि विवादित आराजीयात ग्राम ससेडी वक्त सैटलमेन्ट सम्वत् 2015 में प्रार्थीगण के पिता रामचरण की खातेदारी में रही है और रामचरण के मरने के बाद प्रार्थीगण के नाम विरासत नामान्तरण हो चुका है। सम्वत् 2031–34 तक भूमि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में रही है। उक्त भूमि कभी–भी किसी भी देवताओं के मंदिर की खुद काश्त भूमि नहीं रही है। ग्राम ससेडी पट्टी जागीर खुद काश्त नदारद रहा है और उक्त जागीर रिजम्सन सन् 1952 में जागीर एक्ट के तहत समाप्त हो चुकी है जिसके इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 में प्रार्थीगण के पिता रामचरण के हक में दर्ज हुए है। इसके बाद सम्वत् 2031–34 की जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व कर्मियों ने देवताओं से संबंधित जोत इन्द्राज अनाधिकृत दर्ज किया है। जिसे प्रार्थीगण हटवाने एवं अपने हक में खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने के हकदार हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार का वहस में कथन है कि विवादित आराजी का ग्राम ससेडी तहसील करौली में होना स्वीकार है उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पिता रामचरण की खातेदारी की है। उक्त भूमि देवताओं से संबंधित जोत की है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में है उक्त देवताओं से संबंधित खातेदारी दर्ज हुई है परन्तू मंदिर की खुदकाश्त भूमि प्रमाणित नही है। त्रृटि सुधार लैण्ड ऑफिसर द्वारा किये जाने का अधिकार है प्रार्थीगण उक्त राजस्व इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी हैं।

वहस उभयपक्ष का मनन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर विवेचन किया गया प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्बत् 2019–22,सम्वत् 2023 –2026 ,2027–2030 2031–2034 2035–2038 2039–2042 2044–2047 2048–2051 2052–2055 2056–59 2060–63 2067–67 2068–71 प्रस्तुत की है सम्वत् 2019 से 2022 में भूमि वादग्रस्त जमाबंदी के कॉलम नं. 4 में भूमि अधिकारी जागीरदार के विवरण रिजमशन एवं कॉलम नं.5 में कृषक खातेदार रामचरण के नाम दर्ज है सम्वत् 2019 से 2054 तक भूमि वादग्रस्त रामचरण के ही खातेदारी में दर्ज है। सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबन्दी में खातेदार प्रार्थीगण के नाम लिखे हुए है सम्वत् 2060 से 2063 व 2064 से 2067 में खातेदार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रही है सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण ने सम्बत् 2056–59 की जमाबन्दी भी प्रस्तुत की है जिसमें उक्त आराजीयात की खातेदारी का अंकन प्रार्थीगण के हक में रहे है 2056–2059 में देवताओं से संबंधित जोत का अंकन किया गया है। जिसका कोई नामान्तरण व सक्षम न्यायालय के आदेश का अंकन नही किया गया है ना ही इस बाबत् अप्रार्थी द्वारा कोई आदेश नामान्तरण पत्रावली में प्रस्तुत किया है। जिससे उक्त अंकन देवताओं से संबंधित जोत का जो दर्ज है वह सहवन भूल से ही दर्ज होना प्रकट होता है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के हकदार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि खसरा 691 लगायत 697, 702 लगायत ... 722, 723, 724,727

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner

कुल 16 कुल रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा ग्राम सरोडी तहसील करौली के देवताओं से संबंधित जोत के अंकन को हटाकर प्रार्थीगण के तन्हा खातेदारी के अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। तहसीलदार करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner